



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21052026-272779
CG-MH-E-21052026-272779

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2489]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948

No. 2489]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 12 मई, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(E) के तहत

का.आ. 2581(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 26 मई 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2345 (E) तारीख 24 मई 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य अकोला के जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "भुसावल मंडल के इगतपुरी-मनमाड और भुसावल-बडनेरा अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (10 संख्या) का प्रस्तावित निर्माण" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन उपविभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अकोला, जिला अकोला दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् “दैनिक दिव्य मराठी” व “दैनिक भास्कर” में तारीख 21-06-2025 को प्रकाशित किया गया था।

सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों कि सुनवाई कि गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसार मे आदेश पारित कर दिये गए हे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20ड कि उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार मे आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले मे विशेष रेल परियोजना “भुसावल मंडल के ईगतपुरी-मनमाड और भुसावल-बड़नेरा अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (10 संख्या) का प्रस्तावित निर्माण” (LC No. 44) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ.क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	जमिन प्रकार	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)	बोअरवेल्/विहीर	बांधकाम	झाडे
1	एलएक्यू-47/अन्वी/01/2024-2025	अन्वी	अकोला	सैयद जिशान सैयद खुर्शीद	57/2	1	1.50	0.13	-	-	-
2				साजेदा परवीन सै. जमशीद	57/1	1	1.92	0.58	-	-	आम -35
3				सुधाकर मधुकर नागे और 6 अन्य	58/2	1	1.21	0.17	-	-	-
4				सै. खालीद सै. अयुब	58/1	1	3.26	0.17	-	-	-
5				नागेश्वर माणिकराव नवलकर	59/2	1	0.81	0.20	-	-	आम -20
6				पुरुषोत्तम किसनराव वसु और 1 अन्य	59/2	1	0.65	0.14	-	-	-
7				संजय माणिकराव वसु और 1 अन्य	59/2	1	0.65	0.09	-	-	-
8				सै. फहीम से. रहीम	59/1	1	1.23	0.02	-	-	-
9				दिनकर मधुकर नागे	61/2	1	2.40	0.42	-	-	-
10				अशोक शंकर झांबरे	62/1	1	2.18	0.37	-	-	-

अ.क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	जमिन प्रकार	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)	बोअरवेल/विहीर	बांधकाम	झाडे
11				धीरज अशोक झांबरे	62/4	1	1.26	0.17	-	-	-
12				सचिन अशोक झांबरे	62/7	1	0.59	0.22	-	-	-
13				महर्षी वाल्मीकी बहुउद्देशीय संस्था, अकोला र.नं.फ.-2093	62/4	1	0.40	0.01	-	2	-
				कुल			18.06 (हे.आर.)	2.69 (हे.आर.)			
1	एलएक्यू-47/मिर्जापुर/02/2	मिर्जापुर	अकोला	अशोक शंकर झांबरे	104/1	1	0.51	0.16			नीम-3
2	024-2025			शंकर लक्ष्मण नायडेकर	104/2	1	0.40	0.01			-
				कुल			0.91 (हे.आर.)	0.17 (हे.आर.)			
				कुल योग			18.97 (हे.आर.)	2.86 (हे.आर.)			

[फ़ा. सं. G197/ROB & RUB/LC-44/Anvi & Mirzapur Vlg/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th May, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2581(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 2345 (E) dated 24th May 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 26th May 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Proposed Construction of ROB & RUB (10 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Igatpuri-Manmad & Bhusawal-Badnera Section of Bhusawal Division**” in the district of Akola in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for **Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Akola** in daily newspapers namely “**Dainik Divya Marathi**” & “**Dainik Bhaskar**” Dated 21-06-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received. Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of Section D of the said act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of **“Proposed Construction of ROB & RUB (10 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Igatpuri-Manmad & Bhusawal-Badnera Section of Bhusawal Division”** (LC No. 44) in the District Akola in the State of Maharashtra.

S. N.	Land Acquisition Proposal No.	Name of Village	Taluka	Land Owners Name according to 7/12 Extracts	Survey No./ Gutt No.	Land Type	Total area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)	Borewell/ Tubewell	Construction/ Structure	Trees
1	LAQ-47/Anvi/01/2024-2025	Anvi	Akola	Sayyed Zishan Sayyed Khurshid	57/2	1	1.50	0.13	-	-	-
2				Sajeda Parvin Syd. Jamshid	57/1	1	1.92	0.58	-	-	Mango -35
3				Sudhakar Madhukar Nage and Other 6	58/2	1	1.21	0.17	-	-	-
4				Sayyed Khalid Syd Ayub	58/1	1	3.26	0.17	-	-	-
5				Nageshwar Manikarao Nawalkar	59/2	1	0.81	0.20	-	-	Mango -20
6				Purushottam Kisanrao Wasu And Other 1	59/2	1	0.65	0.14	-	-	-
7				Sanjay Manikrao Wasu And Other 1	59/2	1	0.65	0.09	-	-	-
8				Syd Fahim Syd Rahim	59/1	1	1.23	0.02	-	-	-
9				Dinkar Madhukar Nage	61/2	1	2.40	0.42	-	-	-
10				Ashok Shankar Zambre	62/1	1	2.18	0.37	-	-	-
11				Dhiraj Ashok Zambre	62/4	1	1.26	0.17	-	-	-
12				Sachin Ashok Zambre	62/7	1	0.59	0.22	-	-	-
13				Maharshi Walmiki Bahuuddeshiya Sanstha Akola R.N. 2093	62/4	1	0.40	0.01	-	-	2
				Total			18.06 (Ha.)	2.69 (Ha.)			
1	LAQ-47/Mirzapur/02/2024-2025	Mirzapur	Akola	Ashok Shankar Zambre	104/1	1	0.51	0.16			Neem-03
2				Shankar Laxman Naydekar	104/2	1	0.40	0.01			
				Total			0.91 (Ha.)	0.17 (Ha.)			
				Grand Total			18.97 (Ha.)	2.86 (Ha.)			

[F. No. G197/ROB & RUB/LC-44/Anvi & Mirzapur Vlg/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)